निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या – 191 / 2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 21 / 12 / 2023
निर्णय दिनांक – 27 / 01 / 2025

अनवान

1. कैलाशचन्द्र पिता भंवर लाल जाति महाजन निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)
2. रमेशचन्द्र पिता भंवर लाल जाति महाजन निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. ताराचन्द पिता धुलाराम जाति माली निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. बद्री लाल पिता धुलाराम जाति माली निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. सुरेश पिता नारायण जाति माली निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. गेहरी लाल पिता सोहन लाल जाति माली निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

1905 के खसरा न0 5850 / 4523 रकबा 0.1275 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0. 1275 हेक्टर भुमी होकर स्थित है। प्रार्थीगण की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 मे वर्णित खसरा नम्बर की भूमी की अब तक प्रार्थी ने पत्थरगढी नही कराई है। यह कि मौके पर प्रार्थीगण की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 की भूमि से विपक्षीगण स0 1 , 2, 3 व 4 की भूमि पास – पास में होकर स्थित है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण की जमीन पास पास मे होकर मिली हुई है जमीन की सीमा के सम्बन्ध मे विवाद बना रहता है। फसल काटते व बुआई के समय पाली वगैरा का विवाद रहता हैं और इस समस्या का स्थाई समाधान प्रार्थीगण की उक्त जमीन की पत्थरगढी कराने से ही हल हो सकता है। प्रार्थी को विपक्षीगण का भी यही कहना है कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढी करा लो और पत्थरगढी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पाबन्द रहेंगे जिससे भी प्रार्थीगण को अपनी उक्त जमीनो की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अन्त मे दिनांक 27. 11.2023 को स्थान ग्राम देवगढ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ मे प्रार्थीगण की उक्त जमीन की सीमा सम्बन्धी विवाद करने से ग्राम देवगढ़ तहसील देवगढ मे पैदा हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 1905 के खसरा न0 5850 / 4523 रकबा 0. 1275 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.1275 हैक्टर भुमी की पत्थरगढी जरीये नपती नियमानुसार मौके पर नायब तहसीलदार साहब देवगढ के निर्देशन में कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार– प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 01 अस्वीकार है। आराजी संख्या 4523 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के शामलाती में थी बंटवारा होने से नया आराजी संख्या 5850 / 4523 क्षेत्रफल 0.1200 हैक्टेयर बना जिससे विपक्षीगण असहमत होने से उक्त बंटवारे की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय के यहां विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 अस्वीकार है पूर्व में यह भूमि शामलाती थी एवं काश्त भी शामलाती ही था। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 अस्वीकार है प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 अस्वीकार प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र की कलम 5 से 7 कानूनी है। अतः श्रीमान् न्यायालय से निवेदन है कि पूर्व में यह भूमि आराजी नम्बर 4523 कुल क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टेयर प्रार्थी एवं विपक्षीगणों के शामलाती थी व न्यायालय से बंटवारा होने से प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी संख्या प्रार्थीगणों के नाम दर्ज हो गई। जिससे विपक्षीगण को एतराज होने से उक्त बंटवारे की अपील श्रीमान् न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय उदयपुर के यहां विचाराधीन है। अतः अपील कोर्ट के निर्णय होने के पश्चात् पत्थरगढ़ी करवाने की कृपा करावे। अप्रार्थी संख्या 02, 03 एवं 04 के अधिवक्ता द्वारा पृथक से जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक बहस हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त आराजियात की अपील संबंधी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

पेश नहीं किये जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त वादग्रस्त आराजियात संबंधी अपील अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के नवीन खाता संख्या 1905 के खसरा संख्या

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

5850/4523 रकबा 0.1275 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द
जिला राजसमन्द